



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17]
No. 17]

नई दिल्ली, अप्रैल 17-अप्रैल 23, 2011, शनिवार/चैत्र 27-वैशाख 3, 1933
NEW DELHI, APRIL 17-APRIL 23, 2011, SATURDAY/CHAITRA 27-VAISAKHA 3, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संविधिक आदेश और अधिमूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2011

का. आ. 1083.—केंद्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविकम राज्य सरकार के गृह विभाग गंगटोक की 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. 70/गृह/2010 द्वारा प्राप्त सहमति से निम्नोक्त के संबंध में अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार सम्पूर्ण सिविकम राज्य के संबंध में करती है :

(क) भारत सरकार के कार्यों के संबंध में नियोजित जन सेवकों द्वारा तथा भारत सरकार के नियंत्रण में या कोई निगम, कंपनी या स्वामित्व वाला बैंक या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित हो, के अध्वधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में नियोजित व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध :-

1. भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 120-बी, 124-ए, 166, 167, 168, 169, 171-ई, 171-एफ, 182, 193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204, 211, 218, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263-ए, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 403, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 420, 465, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477-ए, 489-ए, 489-बी, 489-सी, 489-डी, 489-ई, 500, 501, 502 तथा 505 के अंतर्गत दंडनीय अपराध ।
2. यान-हरन निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं. 65) की धारा 4 और 5 के अंतर्गत दंडनीय अपराध ।

SCHEDULE

Sr. No.	S.O. No. & Date	Name of Village	Taluka	District	State	Date of Termination of Operation
1	2	3	4	5	6	7
1.	2163 Date 18-8-1997	Bagodara	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	8-9-2010
		Mithapur	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	8-9-2010
		Memar	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	11-9-2010
		Koth	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Rupagarh	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Kharanti	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Kaliyapura	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Simej	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Kauka	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Paldi	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Pisawada	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Virpur	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Virdi	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Girand	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
2.	901 Date 17-3-1997	Bagodara	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	8-9-2010
		Mithapur	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	8-9-2010
3.	1951 Date 30-9-1998	Bagodara	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	8-9-2010
		Koth	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Simej	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
4.	1318 Date 25-6-1998	Memar	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	11-9-2010
5.	1592 Date 25-6-2010	Bagodara	Bavla	Ahmedabad	Gujarat	8-9-2010
		Mithapur	Bavla	Ahmedabad	Gujarat	8-9-2010
		Memar	Bavla	Ahmedabad	Gujarat	11-9-2010
6.	1318 Date 25-6-1998	Koth	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Rupgadh	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Kauka	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Pisawada	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
7.	1940 Date 2-8-2010	Koth	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Rupgadh	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Kharenti	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Simej	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Piswada	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Virpur	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010
		Girand	Dholka	Ahmedabad	Gujarat	25-11-2010

[F. No. R-31015/13/10-OR-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2011

का.आ. 1100.—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीचे दी गई अधिसूची में यथा उल्लिखित तारीखों की संख्या का.आ. द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अन्तर्देशीय भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया था।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमियों में, सभी विल्लंगमों से मुक्त उपयोग का अधिकार भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड में निहित किया था।

और जबकि सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दी है कि कच्चे पेट्रोलियम तेल के परिवहन के लिए भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड के गुजरात राज्य स्थित वाडीनार संस्थापन से मध्य प्रदेश राज्य स्थित बीना संस्थापन तक उपर्युक्त भूमियों में पाइपलाइन

बिछाई जा चुकी है। चूंकि गुजरात राज्य के जिला खेडा में पाईगलाइन बिछाई जा चुकी है, अतः ऐसी भूमि के बारे में जिराका विवरण सूचना से संलग्न अनुसूची से विनिर्दिष्ट है, प्रचालन समाप्त किया जाए;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार पेट्रोलियम पाईगलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1963 के निम्न स्पष्टीकरण-1 के अधीन अपेक्षानुसार उक्त अनुसूची के स्तंभ 7 में उल्लिखित तारीखों को जिला खेडा, गुजरात राज्य में प्रचालन की समाप्ति तारीख के रूप में घोषित करती है।

अनुसूची

क्र. सं.	का. आ. नं. व तारीख	गांव का नाम	तहसील	जिला	राज्य	प्रचालन समाप्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	2839 दिनांक 28-10-1997	असामली	मातर	खेडा	गुजरात	15-9-2010
		नधानपुर	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		बरोडा	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		खरेंटी	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		पुनाज	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		असलाली	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		ब्रांजा	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		मच्छीयेल	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		हेरन्ज	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		खांभली	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		मलियातज	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		लावल	मातर	खेडा	गुजरात	17-9-2010
		सीहोलाडी	मातर	खेडा	गुजरात	17-9-2010
		2.	1951 दिनांक 30-9-1998	नधानपुर	मातर	खेडा
खरेंटी	मातर			खेडा	गुजरात	16-9-2010
ब्रांजा	मातर			खेडा	गुजरात	16-9-2010
कथोडा	मातर			खेडा	गुजरात	16-9-2010
हेरन्ज	मातर			खेडा	गुजरात	16-9-2010
खांभली	मातर			खेडा	गुजरात	16-9-2010
मलियातज	मातर			खेडा	गुजरात	16-9-2010
लावल	मातर			खेडा	गुजरात	17-9-2010
3.	1457 दिनांक 14-7-1998	पाल्ला	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		लावल	मातर	खेडा	गुजरात	17-9-2010
4.	1444 दिनांक 21-5-2010	असामली	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		असलाली	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		ब्रांजा	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		हेरन्ज	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		खांभली	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
		मलियातज	मातर	खेडा	गुजरात	16-9-2010
5.	2127 दिनांक 22-10-1998	बसो	नडीयाद	खेडा	गुजरात	17-9-2010
		गंगापुर	नडीयाद	खेडा	गुजरात	17-11-2010
		रामपुर	नडीयाद	खेडा	गुजरात	17-11-2010
		पीज	नडीयाद	खेडा	गुजरात	17-11-2010
		पीपलाता	नडीयाद	खेडा	गुजरात	17-11-2010
		पिपलग	नडीयाद	खेडा	गुजरात	17-11-2010
		नडीयाद	नडीयाद	खेडा	गुजरात	18-11-2010
		उत्तरसंडा	नडीयाद	खेडा	गुजरात	18-11-2010
		सलुन वाटा	नडीयाद	खेडा	गुजरात	18-11-2010
		फतेपुर	नडीयाद	खेडा	गुजरात	18-11-2010
		सलुन तलपद	नडीयाद	खेडा	गुजरात	18-11-2010

1	2	3	4	5	6	7
6.	1941 दिनांक 2-8-2010	कन्जोडा	नडीयाद	खेडा	गुजरात	18-11-2010
		सुरासामल	नडीयाद	खेडा	गुजरात	19-11-2010
		चलाली	नडीयाद	खेडा	गुजरात	19-11-2010
		पीज	नडीयाद	खेडा	गुजरात	17-11-2010
		पीपलाता	नडीयाद	खेडा	गुजरात	17-11-2010
		पीपलग	नडीयाद	खेडा	गुजरात	18-11-2010
		नडीयाद	नडीयाद	खेडा	गुजरात	18-11-2010
		सलुनतलपद	नडीयाद	खेडा	गुजरात	18-11-2010
		कन्जोडा	नडीयाद	खेडा	गुजरात	18-11-2010
		चलाली	नडीयाद	खेडा	गुजरात	19-11-2010
7.	2126 दिनांक 22-10-1998	सीमलज	ठासरा	खेडा	गुजरात	20-11-2010
		जाखेड	ठासरा	खेडा	गुजरात	20-11-2010
		कालसर	ठासरा	खेडा	गुजरात	20-11-2010
		आगरवा	ठासरा	खेडा	गुजरात	21-11-2010
		सांढेलीया	ठासरा	खेडा	गुजरात	21-11-2010
		कोतरीया	ठासरा	खेडा	गुजरात	21-11-2010
		उपलेट	ठासरा	खेडा	गुजरात	21-11-2010
		सीमलज	ठासरा	खेडा	गुजरात	20-11-2010
8.	1445 दिनांक 21-5-2010	आगरवा	ठासरा	खेडा	गुजरात	21-11-2010
		उपलेट	ठासरा	खेडा	गुजरात	21-11-2010

[फा. सं. आर-31015/13/10-ओ.आर-11]

ए. गोरवामी, अवर सचिव

New Delhi, the 19th April, 2011

S.O. 1100.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O. Nos. and dates as mentioned in the Schedule below issued under Sub-section (i) of Section (6), Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government acquired the Right of User in the said lands specified in the schedule appended to those notification.

And whereas, in exercise of powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government vested the right of user in the lands free from all encumbrances in the Bharat Oman Refineries Limited.

And whereas, the Competent Authority has made a report to the Central Government that the pipeline for the purpose of transportation of crude oil from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh has been laid in the said lands and hence the operation may be terminated in District Kheda in the State of Gujarat in respect of the said lands which in brief are specified in the schedule annexed to this notification.

Now, therefore, as required under explanation 1 of Rule 4 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Central Government hereby declares the dates mentioned in Column 7 of the said schedule as the dates of termination in District Kheda in the State of Gujarat.

SCHEDULE

Sr. No.	S.O. No. & Date	Name of Village	Taluka	District	State	Date of Termination of Operation
1	2	3	4	5	6	7
1.	2839 Date 28-10-1997	Asamali	Matar	Kheda	Gujarat	15-9-2010
		Nadhanpur	Matar	Kheda	Gujarat	16-9-2010
		Asalali	Matar	Kheda	Gujarat	16-9-2010
		Tranja	Matar	Kheda	Gujarat	16-9-2010
		Machhiyel	Matar	Kheda	Gujarat	16-9-2010
		Baroda	Matar	Kheda	Gujarat	16-9-2010